

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर  
 सवाई सिंह बनाम चन्द्र सिंह  
 29/2024 T.C

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर।  
 अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 476 की तामिल मूल गारुड  
 हो चुकी है। वायजूव तामिल हाजिर नहीं हुए। अतः  
 प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 476 के खिलाफ  
 एकतरफा कार्यवाही अदालत में लाई जाती है।  
 प्रतिवादी/अप्रार्थी सं. 173 ने जवाब हेतु अवसर  
 चाहा। अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब  
 दिनांक 2/11/24 को पेश हो।

पत्रावली पेश/मिदिए उपखण्ड अधिकारी, सीकर  
 173 की ओर से अपील पेश किया गया कि  
 अधिवक्ता उभयपक्ष (जुनीगिर/कदम मुनाकिर)  
 आर्डेर के अपील आर्डेर के रही। कदम पर मक  
 किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दोनावेयो  
 का अवलोकन किया गया मूल गारुड कटवारे कहे  
 तथा विवादि भूमि क कटवारे किप किन किनी  
 हिस्सा विमोच का बंधन कहे तथा मूके पर हीपि  
 कुधार के क्षमाया अन्य कोई निर्माण कार्य कहे  
 पर उभयपक्ष के हिन प्रभावित हो लक्रे ही तथा  
 गारुड वाहुत्परा के कहे की संभावना है। अतः  
 अपील-पत्र प्रविर् की लीकर किया जाता है तथा  
 उभयपक्ष के परिपु अत्योड निसेधना से फाकन  
 किया जाना है कि कविवादि भूमि के न  
 2301/208, 2302/208 कुल किना 02 कुमवकका  
 3-पाईसर कडे साध पारन का कोस परवार हलका  
 चैवपुरा लहसील वाळीला सीकर की ग्रामि पर  
 ताहीरान का संख्या 166/2024 विवादि भूमि  
 के हिस्सा विमोच का बंधन नहीं है तथा हीपि कुधार  
 के आलिखित अन्य कोई निर्माण कार्य नहीं है।  
 पत्रावली में सब मुभाए हवा नभर से कम ही  
 साकिल हफर है। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर  
 से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर